न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक R383-II/08 /2008 निगरानी

श्रीमती आशालता पत्नी रामसेवक गुप्ता
निवासी –कृष्णगंज पोहरी, तहसील–पोहरी
जिला–शिवपुरी ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा प्र0क0 43/2006–07बी–121 में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका दिनांक 22–02–07 एवं 16–01–08 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा–8 एवं धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निमनलिखित आधारों पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत करता हैं :–

1– यह कि, अनुविभागीय अधिकारी का सलंग्न विवादित आदेश एवं प्रकरण में की जा रही कार्यवाही अवैध, अनियमित एवं अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं .

2– यह कि, अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना आदेश पत्रिका दिनांक 22–02–07 को विवादित आदेश पारिता किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से स्थिर रखें जाने योग्य नही हैं . आवेदक द्वारा आपत्ति किये जाने परउसे दिनांक 16–01–08 को स्वीकार कर लिया एवं भूमि आवेदक की मानी परन्तु बाद में उसे परिवर्तित कर दिया .

3– यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि आबादी की भुमि है, जिस पर आवेदक का मकान बना हुआ हैं, तथा आवेदक सपरिवार उसमें निवास करती है,. आवेदक ने पंजीकृत विकय पत्र से निर्मित मकान दिनांक 24–12–83 को कय किया था .

4– यह कि, आवेदक का मकान सर्वे कमांक 284/2 पर स्थित हैं. उक्त भूखण्ड का व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र0क0 51/92–93–अ–2 में पारित आदेश दिनांक 29–08–93 द्वारा किया गया था. आवेदक व्यपवर्तित दर से भू'आगम का भुगतान शासन को करती चली आ रही हैं. आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 284/2 के रूप में बटांकित हैं.

5– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समझ जानकारी मे यह तथ्य आ चुका था कि आवेदक का मकान उस भूखण्ड पर स्थित हैं जिस पर उसे अतिकमण मानकर हटाने के निर्देश दिये गये है.तब कोई भी निर्देश देने के पूर्व आवेदक को सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक था.

6– यह कि, आवेदक ने कोई भी अतिकमण नही किया है आवेदक द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी से सम्पत्ति कय की गयी थी . तत्कालीन अभिलेख से स्पष्ट है कि भूमि शासकीय नही थीं. यदि राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोई त्रुटि की गयी थी तब उसके लिये आवेदक को दण्डित नही किया जा सकता .

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-383-दो/08 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	